खण्ड 6, अंक 7
गुरुवार, 23 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(13 जून, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	अ
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास ...	1-2
प्रश्नोत्तर	2-34
नियम 311 की सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत उठाए जाने का प्रयास	34-40
जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के घाड़ क्षेत्र के गाँवों की सूखे से प्रभावित लाखों बीघे जमीन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
उत्तरांचल के 128 विद्यालयों में सन् 1988-89 से संचालित केन्द्रों के अध्यापकों/शिक्षकों के विनियमितीकरण एवं मानदेय स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट, दूनाकोट, आपेचौरा मोटर मार्ग पर अवैध रूप से पत्थर निकालने से सड़क क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद देहरादून के लक्ष्मण चौक स्थित बिन्दाल नदी एवं कांवली रोड पुलों में क्षतिग्रस्त पुस्तों इत्यादि के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा पोषित विभिन्न निर्माण कार्यों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमितता बरतने तथा धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
सन् 1998-99 में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
उत्तरांचल गन्ना समिति कर्मचारी एसो0 की मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	43
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय की माँगों पर चर्चा एवं मतदान	
अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग (स्वीकृत) ...	43
अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ...	43-44
अनुदान संख्या-4, न्याय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	44

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–5, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ...	44
अनुदान संख्या–7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या–9, लोक सेवा आयोग (स्वीकृत) ...	45
अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग (स्वीकृत) ...	45–46
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	46–47
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 (पारित) ...	47–51
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	51
जनपद टिहरी गढ़वाल के बाल गंगा राजि में आकाशीय बिजली गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	51
हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अधिकांश गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य ...	52

उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	क्र0सं0	नाम
1.	श्री अजय भट्ट	35.	श्री प्रीतम सिंह पंवार (यमुनोत्री)
2.	" अनिल नौटियाल	36	" प्रेमानन्द महाजन
3.	" अनुसूया प्रसाद मैखुरी (डा0)	37.	" फूल सिंह बिष्ट
4.	श्रीमती अमृता रावत	38.	" बलबीर सिंह नेगी
5.	श्री अरविन्द पाण्डे	39.	" बिशन सिंह चुफाल
6.	श्रीमती आशा देवी	40.	" भगत सिंह कोश्यारी
7.	श्रीमती इन्दिरा हृदयेश (डा0)	41.	" मदन कौशिक
8.	श्री उम्मेद सिंह माजिला	42.	" मन्त्री प्रसाद नैथानी
9.	" काशी सिंह ऐरी	43.	" महेन्द्र भट्ट
10.	" किशोर उपाध्याय	44.	" महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
11.	" कैलाश शर्मा	45.	" मातबर सिंह कण्डारी
12.	" कौल दास	46.	" मालचन्द्र
13.	" गगन सिंह	47.	" यशवीर सिंह (चौ0)
14.	" गणेश प्रसाद गोदियाल	48.	" योगम्बर सिंह
15.	" गोपाल सिंह	49.	" रणजीत सिंह
16.	" गोविन्द लाल	50.	" राम प्रसाद टम्टा
17.	" गोबिन्द सिंह कुंजवाल	51.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल
18.	" चन्द्रशेखर	52.	श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
19.	" जोत सिंह	53.	" शैलेन्द्र मोहन सिंघल (डा0)
20.	" तसलीम अहमद	54.	" शहजाद
21.	" तिलक राज बेहड़	55.	" साधू राम
22.	" तेजपाल सिंह रावत	56.	" सुबोध उनियाल
23.	" दिनेश अग्रवाल	57.	" सुन्दरलाल मन्द्रवाल
24.	" नरेन्द्र सिंह भण्डारी	58.	" सुरेन्द्र सिंह नेगी
25.	" नव प्रभात	59.	" हरक सिंह रावत (डा0)
26.	" नारायण पाल	60.	" हरबंस कपूर
27.	" नारायण राम आर्य	61.	" हरभजन सिंह चीमा
28.	" नारायण सिंह जंतवाल	62.	" हरिदास
29.	काजी निजामुद्दीन	63.	" हरीश चन्द्र दुर्गापाल
30.	श्री प्रकाश पन्त	64.	" हीरा सिंह बिष्ट
31.	कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"	65.	" हेमेश खर्कवाल
32.	" प्रताप बिष्ट (डा0)	66.	" त्रिवेन्द्र सिंह रावत
33.	" प्रदीप टम्टा	67.	" रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर (नामित)
34.	" प्रीतम सिंह (चकराता)		

गुरुवार, दिनांक 13 जून, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाने का प्रयास

*श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत नियमों का निलम्बन करते हुए चर्चा की माँग करता हूँ। मान्यवर, जिले में चोरी डकैती की घटनाओं की भरमार हो गई है हमारी जनता सुरक्षित नहीं है। विधान सभा के पडोस में डकैती हो गई है, तीन दिन के अन्दर तीन डकैतियाँ हुई हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि 311 पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा।

*श्री प्रकाश पन्त

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है ये घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं हैं।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि 311 में असुविधा हो रही है तो प्रश्नकाल के बाद 56 में कन्वर्ट कर दिया जाए।

(सभी भा0ज0पा0 के सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह सही है कि प्रतिपक्ष को अपनी बात सभी नियमों में कहने का अधिकार है और उसके लिए नियमों की एक पूरी श्रृंखला है। ऐसे समय में प्रश्नकाल को स्थगित कर, नियम 56 या किसी अन्य नियम में आपके द्वारा कई अवसरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। मान्यवर, यह आपका सर्वोच्च अधिकार है और ऐसे समय में सरकार का यह दायित्व है कि उसका जवाब दे। लेकिन जब बजट या राज्यपाल के अभिभाषण के समय ऐसे मुद्दे उठाये जाते हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन के वैल पर आकर नारे लगाए–"सोई हुई सरकार होश में आओ। "जान माल की रक्षा जो कर न सके, वह सरकार निकम्मी है।")

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सदन का स्थगन 12.20 बजे तक के लिए बढाया जाता है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्न काल तो निरस्त हो ही गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब प्रश्न काल निरस्त हो गया है और यह मामला इतना गम्भीर है, इसे नियम 56 में सुन लिया जाये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठी हैं। हमारा कर्तव्य है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, यह हम सदन के संज्ञान में लायें (व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या आपने इन्हें बोलने की इजाजत दे दी है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(सर्वश्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, मातबर सिंह कण्डारी, हरबंस कपूर, मदन कौशिक, प्रकाश पन्त, कैलाश चन्द्र शर्मा, बिशन सिंह चुफाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक सदन के "वैल" में आकर नारे लगाने लगे–तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, चोरी, डकैती, हत्याएं बन्द करो, भू–माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, कानून–व्यवस्था की स्थिति बहाल करो आदि)

(घोर व्यवधान)

(श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के हाथ में एक पर्चा था, उन्होंने वेल में खड़े होकर कहा कि नियमों को शिथिल करते हुए नियम 311 के तहत इस प्रकरण की चर्चा कराई जाये।)

मान्यवर, सदन में नारेबाजी करना संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को 1.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने 2.30 बजे तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

***श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–**

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें। पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है और वहाँ पर श्री हरबंस कपूर जी अधिष्ठाता रहे है। (व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली की पट्टी सिलगढ़ में ग्राम वाड, ममवाणगांव, जैली कंडाली में 14 मई, 2002 को अतिवृष्टि एवं बादल फटने से कृषकों/प्रभावितों को राहत के सम्बन्ध में

**1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली की पट्टी सिलगढ़ में ग्राम वाड, ममवाणगाँव, जैली कंडाली तथा पट्टी भरदार के ग्राम कांडा, हरियाली में 14 मई, 2002 को अतिवृष्टि एवं बादल फटने से कृषकों को कितना नुकसान हुआ है ? प्रभावित कृषकों को क्या राहत दी गई तथा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के क्या कार्य किये गये ? यदि नही, तो क्यो ?

आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के पट्टी सिलगढ़ में ग्राम तैलावाढ़, ममवाणगाँव, मरगाँव, जैली, जखनोली तथा पट्टी भरदार के ग्राम कांडा, हरियाली व सोम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में दिनांक 14–5–2002 को हुए अतिवृष्टि से काश्तकारों की कुल 14.918 हेक्टेयर भूमि भूस्खलन की चपेट में आयी। भूस्खलन से सुरक्षा हेतु भूमि संरक्षण विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

ग्राम तैलावाड़ में एक आवासीय पक्का मकान एवं ग्राम कांडा में चार आवासीय पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर रु0 800/– प्रति प्रभावित परिवार की दर से कुल रु0 4,000/– की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की जा चुकी है। ग्राम कांडा में ही चार पक्के आवासीय भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवारों को रु0 10,000/– की दर से कुल रु0 40,000/– की धनराशि गृह अनुदान के रूप में भुगतान की जा चुकी है।

ग्राम मरगांव में दो बैल एवं ग्राम कंडाली में एक गाय भूस्खलन से दब कर मरे हैं। प्रभावितों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए नियत प्राविधानों के अनुसार अनुग्रह अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में पशुधन प्रसार हेतु पशुओं की नस्ल सुधार के लिए व्यापक तथा प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में

*1–श्री प्रकाश पन्त–

क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में पशुधन प्रसार हेतु पशुओं की नस्ल सुधार हेतु सरकार कोई व्यापक तथा प्रभावी कार्ययोजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कार्ययोजना का क्या स्वरूप है तथा वह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में कितने सांड केन्द्र तथा भैसा केन्द्र संचालित हो रहे हैं ?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी हाँ।

उत्तरांचल राज्य में दूरस्थ ग्रामीण अंचल तक पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "उत्तरांचल कैटिल एण्ड बैफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट" के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत है। प्रजनन से वंचित दूर दराज के क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उन्नत नस्ल के गाय व भैसा सांड भी वितरित किये जायेंगे, योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी के माध्यम से होगा।

वर्तमान में 7 सांड केन्द्र विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं जिनमें प्रत्येक में एक गाय सांड तथा एक भैसा सांड रखा गया है।

जूनियर हाई स्कूलों से इण्टरमीडिएट स्तर तक अशासकीय/वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर वित्तीय मान्यता की रोक हटाने के सम्बन्ध में

*2–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों से इण्टरमीडिएट स्तर तक अशासकीय/वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर वित्तीय मान्यता की रोक हटाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इन विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सूची में शामिल कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रश्नगत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करना निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की मनमानी एवं अभिभावकों के शोषण के सम्बन्ध में

*3–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संचालित अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की मनमानी एवं उनके द्वारा अभिभावकों का शोषण किए जाने का कोई प्रकरण शासन की जानकारी में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्यालयों पर अंकुश लगाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पकालिक शिक्षकों की सेवायें विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

*4–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पकालिक रूप से कितने शिक्षक कार्यरत है ?

क्या सरकार इन शिक्षकों की सेवायें विनियमितीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय वित्त विहीन की श्रेणी में आते हैं जिनमें वेतन भुगतान एवं नियुक्ति निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत विद्यालय केवल मान्यता प्राप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शासन के क्षेत्राधिकार से आच्छादित नहीं हैं।

उत्तरांचल में कुल कितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं तथा इन शिक्षकों को विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

*5–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं ?

क्या सरकार शिक्षकों के विनियमितीकरण किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है–

	संख्या
1. राजकीय विद्यालयों में	183
2. अशासकीय विद्यालयों में	07
योग	190

जी हाँ।

यथा शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का जिलेवार अनुपात के सम्बन्ध में

*6–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का जिलेवार अनुपात क्या है ?

यदि अनुपात समान नहीं है तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

लगभग शिक्षक छात्र अनुपात जनपदवार निम्नवत् है–

1.	पौड़ी गढ़वाल	1 : 28
2.	चमोली	1 : 25
3.	रुद्रप्रयाग	1 : 33
4.	उत्तरकाशी	1 : 40
5.	टिहरी	1 : 37
6.	देहरादून	1 : 74
7.	हरिद्वार	1 : 102
8.	नैनीताल	1 : 46
9.	ऊधमसिंह नगर	1 : 89
10.	अल्मोड़ा	1 : 46
11.	बागेश्वर	1 : 43
12.	पिथौरागढ़	1 : 35
13.	चम्पावत	1 : 46

जनसंख्या वृद्धि में नगरीय एवं शहरी क्षेत्र के निकटस्थ स्थलों पर अधिक जनसंख्या के कारण छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक हित में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के उद्यान फार्मों तथा वहाँ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा प्रत्येक फार्म की वार्षिक आय–व्यय के सम्बन्ध में।

*7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के उद्यान फार्मों तथा वहाँ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

प्रत्येक फार्म की वार्षिक आय और व्यय क्या है ?

क्या कृषकों को औद्योगिकीकरण पर देय सुविधाओं पर सब्सिडी दी जा रही है?

यदि नहीं तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जनपद उत्तरकाशी में उद्यान फार्मों की कुल संख्या 7 है तथा इन फार्मों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 30 हैं,

प्रत्येक फार्म की वार्षिक आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है–

	फार्म का नाम	आय	व्यय/रु0 में
1.	द्वारी	795329	1036524
2.	वाल्या	24445	128494
3.	रैथल	469058	652889
4.	नौगांव	440337	564482
5.	जरमोला	1437385	1565273
6.	घरोली	663609	711373

7. उत्तरकाशी बगीचे में राजकीय भवनों का निर्माण हो चुका है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कितने इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में

*8–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य में 368 राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में न्याय पंचायतों के चुनाव न होने के कारण तथा चुनाव शीघ्र कराने के सम्बन्ध में

*9–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में न्याय पंचायतों के चुनाव कब से नहीं हुए हैं ?

न्याय पंचायतों के चुनाव न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उत्तरांचल में न्याय पंचायतों के चुनाव शीघ्र करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से ही न्याय पंचायतों के निर्वाचन, 1972 के उपरान्त सम्पन्न नहीं हुए हैं।

पंचायत राज अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है जिस कारण न्याय पंचायतों का गठन अभी सम्भव नहीं हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में आमों के उद्यान में शूटगाल के प्रकोप तथा इसकी रोकथाम के सम्बन्ध में

*10–काजी निजामुद्दीन–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में आमों के उद्यान में शूटगाल के प्रकोप से आम का उत्पादन आधे से भी कम रह गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार शूटगाल की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

इस कीट की रोकथाम हेतु उद्यान विभाग तथा पंतनगर, विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम द्वारा इन प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया, उनके द्वारा दी गई संस्तुतियों/रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उत्तरांचल में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के सम्बन्ध में

*11–श्री हरबंस कपूर–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

राज्य के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार योजना, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता योजना, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाएं योजना, नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके

अलावा वर्ष 2002–03 के बजट में नई योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जैसे आई0एस0ओ0–9000 एवं पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु सहायता, प्रदूषण नियन्त्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन, हीरा तराशने एवं जेम ज्वैलरी उद्योग के प्रचार–प्रसार गारमेन्ट उद्योग विकास योजना, माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स एवं प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेन्ट तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक्सपोर्ट फीट सब्सिडी योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के नगरीय क्षेत्र में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या मानकों के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में

*12–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के नगरीय क्षेत्र में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या मानकों के अनुरूप हैं ?

क्या यह सही है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या मानकों से अधिक है ?

यदि हाँ, तो ऐसे स्कूलों से उन अध्यापकों को हटाकर ऐसे स्कूलों में भेजा जाये जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2001 में खोले गये राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल को बन्द करने के कारण

*13–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001 में राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में खोला गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय को किन कारणों से बन्द कर दिया गया ?

क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रकरण पर जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा इस विद्यालय को छात्रहित में पुनः खोला जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

तदैव।

उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

*14–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में कार्यरत उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश शासन से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में प्रसार अध्यापकों/शिल्प अध्यापकों तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों की कुल संख्या एवं प्रोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में

1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में प्रसार अध्यापकों/शिल्प अध्यापकों तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों की कुल कितनी संख्या है ?

क्या सरकार प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु इन अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्तमान में राज्य में प्रसार अध्यापक/शिल्प अध्यापक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक के पद पर कार्यरत की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्रों में बेसिक पाठशालाएं माह में एक सप्ताह भी न खुलने से सम्बन्धित

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्रों में बेसिक पाठशालाएं माह में एक सप्ताह भी नहीं खुलती हैं ?

यदि हाँ, तो अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार अध्यापकों के खिलाफ आज तक कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय आदर्श विद्यालय एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों के सम्बन्ध में

3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में कितने राजकीय आदर्श विद्यालय हैं तथा कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

क्या यह सत्य है कि इन विद्यालयों में एक अध्यापक के द्वारा ही अध्यापन कार्य किया जाता है ?

यदि हाँ, तो इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बढ़ायी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद रुद्रप्रयाग में 07 (सात) राजकीय आदर्श विद्यालय हैं तथा इनमें 15 अध्यापक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में बालिकाओं को बैठने के लिए भवन निर्माण सम्बन्धी

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में बालिकाओं के बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

रा0इ0का0 सौराखाल भरदार जनपद रुद्रप्रयाग में भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवन के नव निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में

5–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0इ0का0 सौराखाल भरदार, जनपद रुद्रप्रयाग के भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवन के नव निर्माण हेतु सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय का भवन कब तक बन जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढवाल के यमकेश्वर क्षेत्र में प्राइमरी पाठशाला अमोला, कठूड, खण्ड एवं कस्याली के भवन क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के सम्बन्ध में

6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में प्राइमरी पाठशाला अमोला, कठूड, खण्ड एवं कस्याली के भवन विगत लम्बे समय से क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं ?

क्या सरकार छात्र हित में इन भवनों को शीघ्र बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में स्थापित किये गये उद्यान तथा उत्पादित फलों के सम्बन्ध में

7–श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से कितने उद्यान विगत 5 वर्षों में स्थापित किये गये ?

इन उद्यानों में किस–किस प्रकार के फल उत्पादित हो रहे हैं ?

तथा सरकार द्वारा उत्पादित फलों के विपणन की कोई व्यवस्था की गई है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2000–01 तथा 2000–02 में कितने फलों का क्रय किया गया ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से विगत 5 वर्षों में 1161 उद्यान स्थापित किये गये।

इन उद्यानों में आम, नींबू–प्रजाति सेव, अखरोट, आडू, बादाम, नाशपाती, प्लम खुमानी आदि फल उत्पादित हो रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय जूनियर हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

8–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण के प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं ?

क्या इनके उच्चीकरण की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक उन पर कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण के 35 प्रस्ताव तथा राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के 39 प्रस्ताव शिक्षा निदेशक से प्राप्त हुए हैं।

उच्चीकरण की योजना वित्तीय उपाशयता के सन्दर्भ में विचाराधीन है।

वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में अल्पसंख्यकों के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का संचालन, उनमें नियुक्तियों की अनियमितता से सम्बन्धित

9–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ तथा जनपद अल्मोड़ा में अल्पसंख्यकों के कितने माध्यमिक तथा कितने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं ?

इन विद्यालयों में विगत 5 वर्षों में विभिन्न पदों पर कितनी नियुक्तियाँ की गई हैं ?

क्या नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ?

यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ में अल्पसंख्यकों के 02 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा जनपद अल्मोड़ा में अल्पसंख्यकों के 04 इण्टरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं।

उक्त 06 विद्यालयों में विगत 05 वर्षों में विभिन्न पदों पर कुल 46 नियुक्तियां की गयी।

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में अनियमित नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। जनपद अल्मोड़ा में नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की शिकायत जाँचोपरान्त सत्यापित नहीं पायी गयी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र के असनेथ स्थित प्राइमरी पाठशाला का निर्माणाधीन भवन अपूर्ण पड़ा होने से सम्बन्धित

10–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम असनेथ स्थित प्राइमरी पाठशाला का निर्माणाधीन भवन विगत काफी समय से अपूर्ण पड़ा हुआ है ?

क्या उक्त भवन को छात्रहित में शीघ्र पूर्ण करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सभी बेसिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती

11–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सभी बेसिक एवं जू0 हा0 स्कूलों में अध्यापक मानक के अनुरूप विद्यालयों में कार्यरत हैं ?

यदि हाँ, तो उनकी विद्यालयवार संख्या क्या है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण।

पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

12–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्य नियुक्त हैं ?

यदि नहीं, तो किन–किन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित 04 राजकीय इण्टर कॉलेजों में से राजकीय इण्टर कॉलेज बनचूरी एवं राजकीय इण्टर कॉलेज गैण्डखाल में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि में खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

13—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या खेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि में खेल स्टेडियम के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

जी हाँ। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि में जनपद स्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु केन्द्र सरकार से केन्द्रांश के रूप में धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा भी धनराशि का प्राविधान कराया जा रहा है।

इस स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के फैक्स—फैड द्वारा बेसिक पाठशालाओं तथा जू0 हाई स्कूलों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

14—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के फैक्स—फैड द्वारा कितने बेसिक पाठशालाओं तथा जू0 हाई स्कूलों के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया ?

उनमें से कितने बे0 पा0 तथा जू0 हाई स्कूल के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है ?

अपूर्ण भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद रुद्रप्रयाग के फैक्स—पैड द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में स्थित स्व0 देव सिंह क्रीड़ा स्थल का विकास, आउटडोर स्टेडियम के रूप में करने के सम्बन्ध में

15—श्री प्रकाश पन्त—

क्या खेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित स्वर्गीय देव सिंह, खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार देव सिंह क्रीड़ा स्थल का विकास, आउटडोर स्टेडियम के रूप में करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ। जनपद पिथौरागढ़ में स्थित स्व0 देव सिंह खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिताओं एवं अन्य खेल कार्यक्रमों का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है।

उपरोक्त स्टेडियम के अतिरिक्त जनपद पिथौरागढ़ में खेल विभाग द्वारा एक स्टेडियम पूर्व से ही निर्मित है। यह स्टेडियम जनपद की वर्तमान खेल आवश्यकता के अनुरूप खेलों का संचालन वर्ष भर सफलतापूर्वक करने में पूर्णतया सक्षम है। देव सिंह क्रीड़ा स्थल नगरपालिका परिषद् के नियंत्रण में है। अतः देव सिंह क्रीड़ा स्थल को आउटडोर स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

16–श्री मदन कौशिक–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार जनपद में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

तथा उनमें से कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने की कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद हरिद्वार में 577 प्राथमिक विद्यालय हैं।

अध्यापकों के 133 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनता इण्टर कॉलेज तिमली बड़मा, रुद्रप्रयाग में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत पदधारक की प्रोन्नति से सम्बन्धित

17–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनता इण्टर कॉलेज तिमली बडमा, रुद्रप्रयाग में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत पदधारक को धारा 18/1/4 के अन्तर्गत कब तक प्रोन्नति दे दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में बालिका हाई स्कूल के सम्बन्ध में

18–श्री कौलदास–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में अभी तक कोई भी बालिका हाई स्कूल नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर बालिका विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के विजयनगर में लघु स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में

19–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या खेल मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में विजयनगर में लघु स्टेडियम स्वीकृत है ?

यदि नहीं तो सरकार उक्त स्थान पर [illegible] निर्माण करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

वर्तमान में लघु स्टेडियम निर्माण हेतु प्राविधानों के अन्तर्गत कम से कम 3 एकड़ उपयुक्त भूमि युवा कल्याण विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसके उपरान्त ही उक्त स्थान पर लघु स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में लघु स्टेडियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में

20–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या खेल मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में लघु स्टेडियम की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

वर्तमान में लघु स्टेडियम निर्माण हेतु प्राविधानों के अन्तर्गत कम से कम 03 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। उसके उपरान्त ही उक्त विकास खण्ड में स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही शासन द्वारा की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोदली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

21–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या सरकार जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोदली के उच्चीकरण किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उच्चीकरण के प्रस्ताव पर वित्तीय उपाशयता निहित है जो सम्प्रति विचाराधीन है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय माध्यमिक विद्यालय धुर्मा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

22—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या सरकार जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय माध्यमिक विद्यालय धुर्मा का उच्चीकरण करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत् विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय वैट वाण्डाचक का जू0 हाई स्कूल में उच्चीकरण एवं अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में

23—श्री कौलदास—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय वैट वाण्डाचक में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप मात्र दो अध्यापक रह गये हैं ?

तथा पहली से 8वीं तक कक्षाएं लगाई जा रही हैं ?

क्या इस विद्यालय का जू0 हाई स्कूल में उच्चीकरण किया जायेगा ताकि विद्यार्थियों का पठन—पाठन ठीक ढंग से हो सके ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत् विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानाध्यापक, एल0टी0, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की जानकारी

24—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानाध्यापक, एल0टी0, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के कितने पद रिक्त हैं ?

शिक्षा बन्धु कुल कितने पदों पर तैनात हैं ?

उक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के बारे में सरकार क्या निर्णय ले रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के जो पद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे, उन की भर्ती हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानाध्यापक, एल0टी0, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :—

1. प्रधानाध्यापक	—	27
2. एल0टी0	—	196
3. प्रवक्ता	—	155
4. प्रधानाचार्य	—	24

प्रवक्ता के 57 तथा एल0टी0ग्रेड के 39 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा बन्धु तैनात किये गये हैं।

सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0टी0सी0 के पदों पर भर्ती हेतु निकाले गये विज्ञापन के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के कारण अग्रेत्तर कार्यवाही सम्प्रति बाधित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय बालिका जू0 हाई स्कूल के उच्चीकरण से सम्बन्धित

25—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल का सरकार उच्चीकरण करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत उच्चीकरण के प्रस्ताव पर यथासमय विचार किया जायेगा।

जनपद रुद्रप्रयाग में मत्स्य पालन निरीक्षक पद के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी

26–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में मत्स्य पालन निरीक्षक का पद सृजित हो गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त पद कब तक सृजित हो जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में पशु सेवा केन्द्र तथा वहाँ पर तैनात अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में

27–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में कितने पशु सेवा केन्द्र हैं तथा इनमें कितने पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने अधिकारियों के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद रुद्रप्रयाग में 24 पशु सेवा केन्द्र हैं तथा इनमें 15 पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं।

पशुधन प्रसार अधिकारी के 09 पद रिक्त हैं।

जी हाँ, वर्तमान में 65 अभ्यर्थियों का पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण का एक बैच 17 जनवरी, 2001 से चलाया जा रहा है, जो जनवरी, 2003 तक पूर्ण होगा। इसके पश्चात जनपद रुद्रप्रयाग में भी रिक्त पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों को नियमानुसार भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में बेसिक शिक्षा परिषद् में वित्त एवं लेखाधिकारी के पद का सृजन

28–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में बेसिक शिक्षा परिषद् में वित्त एवं लेखाधिकारी के पद का सृजन कब तक हो जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, दैड़ा में गणित विषय में प्रवक्ता पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में

29–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, दैड़ा में गणित विषय में प्रवक्ता पद सृजित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त पद सृजित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, दैड़ा में गणित विषय में प्रवक्ता के पद सृजन का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार और देहरादून में आम के बागों का क्षेत्रफल तथा औसतन उत्पादन के सम्बन्ध में

30–काजी निजामुद्दीन–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार जनपद हरिद्वार व जनपद देहरादून के आम के बागों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना–कितना है ?

दोनों जनपदों में आम का औसतन उत्पादन कितना–कितना है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद हरिद्वार व जनपद देहरादून के आम के बागों का क्षेत्रफल क्रमशः 1452 हेक्टेयर तथा 5063 हेक्टेयर है।

जनपद हरिद्वार का 32640 मै0 टन तथा जनपद देहरादून का औसत उत्पादन 4520 मै0 टन है।

भोटिया जनजाति के भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन/ऊनी वस्त्रों का खादी ग्रामोद्योग द्वारा खरीद के सम्बन्ध में

31–श्री विजयपाल सिंह सजवाण–

क्या ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भोटिया जनजाति के भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन/ऊनी वस्त्रों को सरकार पूर्व की भाँति खादी बोर्ड द्वारा खरीदने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

वर्तमान समय में शासन द्वारा ऊन उत्पादकों से ऊन क्रय करने तथा ऊन उपभोक्ताओं को ऊन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नयी योजना के रूप में ऊन बैंक की स्थापना योजना स्वीकृत है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001–2002 हेतु रुपये 10.00 लाख स्वीकृत धनराशि बुनकर बाहुल्य सीमान्त जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़) को आवंटित कर दी गयी है। ऊन बैंक योजना मद में वित्तीय वर्ष 2002–2003 हेतु रुपये 5.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है तथा 10 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु रु0 10.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

जनपद उत्तरकाशी में आदर्श विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों के साथ समायोजित करने की योजना के सम्बन्ध में

32–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने राजकीय आदर्श विद्यालय हैं उनमें कुल कितने अध्यापक तैनात हैं ?

क्या इन विद्यालयों को पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के साथ समायोजित करने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उत्तरकाशी में कुल 28 राजकीय आदर्श विद्यालय हैं। उनमें कुल 59 अध्यापक तैनात हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

200 की मुस्लिम आबादी पर मदरसों की स्थापना की योजना के सम्बन्ध में

33—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार 200 मुस्लिम आबादी पर मदरसों की स्थापना की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो योजना क्या है तथा कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग में जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र का पद सृजन एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में

34—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र का पद सृजित नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित कर उस पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

जी हाँ। शासनादेश संख्या—1737/औ0वि0—2001—151/उद्योग—2001, दिनांक 25—9—2001, द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में स्थापित जिला उद्योग केन्द्र में प्रभारी महाप्रबन्धक का पद सृजित किया गया है। वर्तमान में प्रभारी महाप्रबन्धक का दायित्व प्रभारी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चमोली को सौंपा गया है। महाप्रबन्धक की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

विभागीय संरचना के अन्तर्गत उत्तरांचल में मात्र 5 जनपदों क्रमशः जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी एवं नैनीताल में ही महाप्रबन्धकों के पद सृजित किये गये हैं। शेष जनपदों में प्रभारी महाप्रबन्धक के पद सृजित हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग बनने से पूर्व विभिन्न पट्टियों की ग्राम सभाओं की जानकारी

35–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पंचायतराज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग बनने से पूर्व पट्टी रानीगढ़ की नौ ग्राम सभाएं, पट्टी बछणस्यूँ की बीस ग्राम सभाएं, पट्टी धनपुर की 18 ग्राम सभाएं तथा तल्ला नागपुर की 14 ग्राम सभाएं किस–किस विकास खण्ड में शामिल थी।

तथा वर्तमान में किस विकास खण्ड में हैं ?

क्या सरकार पट्टी बछणस्यूँ, पट्टी रानीगढ़, पट्टी भरदार तथा पट्टी धनपुर को मिलाकर एक अलग विकास खण्ड खोलने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद रुद्रप्रयाग बनने से पूर्व पट्टी रानीगढ़ की 9 ग्राम सभाएं विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली में पट्टी बछणस्यूँ की 20 ग्राम सभाएं विकास खण्ड खिर्सू जनपद पौड़ी गढ़वाल में, पट्टी धनपुर की 15 ग्राम सभाएं विकास खण्ड अगस्तमुनि जनपद चमोली में तथा पट्टी तल्ला नागपुर की 14 ग्राम सभाएं विकास खण्ड पोखरी जनपद चमोली में सम्मिलित थीं।

उपरोक्त समस्त ग्राम सभाएं वर्तमान में विकास खण्ड अगस्तमुनि जनपद रुद्रप्रयाग में सम्मिलित हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के टंगसा क्षेत्र में कृषि हाई स्कूल का उच्चीकरण के सम्बन्ध में

36–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के टंगसा क्षेत्र में कृषि हाई स्कूल का उच्चीकरण करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली में जूनियर हाई स्कूलों को खोले जाने के सम्बन्ध में

37–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली में जूनियर हाई स्कूलों को खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय शिल्प एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढावा देने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में

38–श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार स्थानीय शिल्प एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढावा देने के लिए ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो महाविद्यालय का स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्तर पर तथा पडोसी राज्यों में उद्यमिता विकास व प्रशिक्षण से जुडे हुए अच्छे ख्यातिप्राप्त संस्थान उपलब्ध हैं, जिनमें उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्यमिता अभिमुखीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले स्तर पर चलाये जाते हैं। अतः पृथक से लघु उद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों के रिक्त पद एवं भर्ती के सम्बन्ध में

39–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में माध्यमिक विद्यालयों में कितने प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं ?

इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 201 तथा सहायक अध्यापक के 258 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में पशु प्रसार केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय के सम्बन्ध में

40–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी में कितने पशु प्रसार केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय किन स्थानों में हैं ?

क्या इनमें पशु प्रसार व पशु चिकित्सा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में 7 पशु चिकित्सालय हैं, जो यमकेश्वर, मोहनचट्टी, अमोला, थलनदी, चैलूसैंण तथा कट्ठूबड़ा में अवस्थित हैं, उक्त विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 6 पशु सेवा केन्द्र हैं, जो गंगाभोगपुर, देवीखेत आमसैंण, सार, चीला व धारकोट में अवस्थित हैं।

जी हाँ, सम्पूर्ण क्षेत्र में पशु प्रसार एवं पशु चिकित्सा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में लघु उद्योग या ग्रामोद्योग खोलने की योजना के सम्बन्ध में

41–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोई लघु उद्योग या ग्रामोद्योग स्थित है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में उक्त उद्योग को खोलने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में लौह/काष्ठ, रेशा, चर्मकला, कुम्हारी, चॉक मेकिंग एवं रेडीमेड गारमेंट्स की लघु/ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित हैं।

सरकार द्वारा उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता नियमानुसार लघु उद्योग एवं ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र के गांवों में फलों का उत्पादन एवं फलोद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में

42—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के किन गांवों में फलों का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है ?

क्या सरकार फलोद्योग को विकसित करने की कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के काण्ड़ी, चमनपुर, स्वर्गाश्रम के पास का क्षेत्र डांडादमराडा बडोली, छोटी दिउली, विथ्याणी, झाला, मराल, जौक गाँवों में फलों का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में रेशम कीट पालन फार्मों की संख्या एवं पिछले पाँच वर्षों की प्रगति के सम्बन्ध में

43—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या उद्यान एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कितने रेशम कीट पालन फार्म हैं तथा उनमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

इन फार्मों की वार्षिक आय तथा विगत 5 वर्षों की उत्पादन प्रगति क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

जनपद उत्तरकाशी में कुल 7 (सात) रेशम कीट पालन फार्म हैं तथा उनमें कुल 12 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इन फार्मों से विभाग को कोई सीधी आय प्राप्त नहीं होती है क्योंकि विभाग द्वारा चाकी कीटपालन के पश्चात् रेशम कीटों को कृषकों (कीटपालकों) को वितरित कर दिया जाता है जिससे कीटपालकों को ही आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

विगत पाँच वर्षों की उत्पादन प्रगति इस प्रकार हैं :-

वर्ष	उत्पादित रेशम कोया (कि0ग्रा0)
1997-98	849.650
1998-99	1236.750
1999-2000	शासन के आदेशानुसार कार्य स्थगित रहा
2000-2001	115.00
2001-2002	719.00
योग	2920.400

जनपद रुद्रप्रयाग के बेसिक पाठशाला रतनपुर भरदार के भवन में ताला लगे होने के सम्बन्ध में

44-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक पाठशाला रतनपुर भरदार, रुद्रप्रयाग के भवन पर ताला लगा हुआ है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या सरकार जनहित में ताला खुलवाये जाने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

जी हाँ।

फैक्स पैड द्वारा ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रश्नगत विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य कराने के उपरान्त भी भुगतान न होने के कारण ग्राम प्रधान के द्वारा ताला लगाया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण महिलाओं को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के लिए आसान किस्तों तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

45-श्री प्रकाश पन्त-

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के लिए आसान किस्तों तथा सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो उस योजना का स्वरूप क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

सघन मिनी डेरी परियोजना के पैटर्न पर डेयरी विभाग द्वारा महिला डेयरी विकास परियोजनान्तर्गत रु0 496 लाख की एक योजना "कैटिल इण्डक्शन प्रोजेक्ट" भारत सरकार को 10वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु भेजी जा चुकी है। उक्त परियोजना में 10 प्रतिशत अनुदान अर्थात रु0 50 लाख उत्तरांचल सरकार वहन करेगी। परियोजना में ग्रामीण महिलाओं को उन्नत किस्म के पशु क्रय कराये जाने हेतु सघन मिनी डेयरी की भाँति दो पशुओं की यूनिट हेतु रु0 26000 का ऋण बैंक से तथा रु0 8580 का अनुदान शासन द्वारा दिया जायेगा एवं रु0 1000 लाभार्थी स्वयं वहन करेगा। सघन मिनी डेयरी परियोजना 15 अगस्त, 2001 से लागू है जबकि "कैटिल इण्डक्शन प्रोजेक्ट" भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के उपरान्त लागू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में संचालित माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में

46–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं ?

विगत वर्ष 2001–2002 में कितने विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है ?

क्या सभी विद्यालय न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूर्ण कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल में माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त कुल 417 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं।

विगत वर्ष 2001–2002 में कुल 38 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी।

जी नहीं, अपितु उक्त विद्यालयों को उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1921 की धारा 9 (4) के अन्तर्गत कतिपय मानकों को शिथिल करते हुए वित्तविहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि एक निर्धारित अवधि के अन्दर संस्था मानकों के अनुरूप कमियों को पूर्ण करे।

ग्राम पलेठी, जनपद चमोली में हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में

47–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पलेठी, जनपद चमोली में एक हाई स्कूल खोले जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या शासन जनहित में उक्त विद्यालय को खोले जाने पर विचार करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने के सम्बन्ध में।

48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

पूर्व भी जिला पंचायतें स्वायत्तशासी निकाय थे। किन्तु संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में उन्हें प्रशासनिक अधिकार सम्पन्न भी बनाया जाना है। ऐसी स्थिति में जिला पंचायतों के कर्मियों को राज्य कर्मी घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तकालयों, प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

49—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तकालयों तथा राजकीय जिला पुस्तकालयों, शाखा पुस्तकालयों व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तकालयों तथा राजकीय जिला पुस्तकालयों, शाखा पुस्तकालयों व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों के कुल 23 पद रिक्त हैं।

सेवा नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त रिक्त पद भरे जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के सी0टी0 संवर्ग के सभी स्नातक शिक्षकों की दस वर्ष की सेवा के उपरान्त एल0टी0 में संविलयन के सम्बन्ध में

50—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सी0टी0 संवर्ग के सभी स्नातक शिक्षकों का दस वर्ष की सेवा के उपरान्त एल0टी0 में संविलयन हो गया है ?

यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

इनकी संख्या 640 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में सरकार द्वारा तिमली, बडमा तथा किमाणा फुटगढ़ में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने के सम्बन्ध में

51—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में जिला सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं ?

क्या सरकार तिमली, बड़मा तथा किमाणा फुटगढ़ में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद रुद्रप्रयाग में जिला सहकारी बैंक की कुल 5 शाखाएं हैं, जिनमें टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की एक शाखा मयाली में तथा चमोली जिला सहकारी बैंक लि0 की चार शाखाएं रुद्रप्रयाग, अगस्तमुनि, गुप्तकाशी और ऊखीमठ में अवस्थित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जिला सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण के पश्चात नई शाखाएं खोलने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

संख्या 4 (व्यवधान)

नियम 311 की सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विपक्ष की बात सुन लें। मान्यवर, मुझे पता नहीं लगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप पीठ पर भले ही नये हैं, आपने पिछले सत्र और इस सत्र में अभी तक अच्छे ढंग से सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए अपना निर्णय दिया। हमारे सदस्यों का कहना है कि कानून व्यवस्था के अन्तर्गत जो मामले आते हैं उनको नियम 56 के अन्तर्गत नहीं सुना जाता है, यह अध्यक्ष जी का अधिकार है। आज कई सदस्यों ने मुझे इस सम्बन्ध में अवगत कराया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, आप इस विषय को नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार कर लें, चाहे इसके बाद आप इसे अग्राह्य करें। समूचा विपक्ष इस विषय पर चर्चा कराना चाहता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सुबह से ये जो हाउस के अन्दर गतिरोध पैदा हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुजन समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष के इस अधिकार पर अतिक्रमण का विरोध करती है और मैं माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता श्री कोश्यारी जी से उम्मीद करता हूँ कि बड़ी पार्टी होने के नाते आज सभी जो यहां दल हैं, चाहे उत्तराखण्ड क्रान्ति दल या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो।

मान्यवर, सभी को विश्वास में लेते तो यह बहुत ही अच्छी बात होती। मुझे याद आता है कि स्वर्गीय जी0एम0सी0 बालयोगी साहब ने जब–जब ऐसे व्यवधान और गतिरोध हाऊस के अन्दर होते तो उन्होंने आचारसंहिता और नियमों को लिया, और मैं समझता हूँ कि ऐसे बिन्दु पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है लेकिन इससे अलग बात है कानून व्यवस्था की। आज इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तरांचल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, वह लचर होती जा रही है। एक कांग्रेस का दल दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण हैं, बात वर्तमान या भविष्य की नहीं है, लेकिन निःसंदेह देव भूमि पर उत्तरांचल में अपराधिक घटनायें घटेंगी तो जो उत्तरांचल की शान्ति और सकून है, वह बिगड़ेगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आज जैसे मुझे जानकारी मिली, चाहे घटना डकैती की हो या अपराधिक घटना, मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यह ज्वलन्त विषय है। यह अहम विषय है, इस पर चर्चा करा दी जाती तो यह व्यवधान और गतिरोध पैदा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि जो यह प्रकरण चल रहा है और हम लोग एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत आज विधान सभा के अन्दर अपने–अपने क्षेत्रों की समस्यायें लेकर यहाँ आते हैं, यह प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और विवाद और विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये सब ज्वलन्त मामले हैं, उन पर हमें गम्भीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। मुझे आपसे निवेदन करना है कि ये गतिरोध पैदा हुआ, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी दलीय नेताओं को कक्ष में बुलाकर इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देते। जो महत्वपूर्ण प्रश्नकाल था, जिसमें मामलों और समय का बचाव हो सकता है, यह आपसे अनुरोध करना है।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ये जो सदन में गतिरोध पैदा हुआ यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न यह था कि एक घटना हुई, उस घटना पर सरकार की कार्यवाही और सरकार का जवाब माननीय सदस्य चाहते थे। निश्चित तौर पर घटना गम्भीर थी, यह बात अलग है, उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषय को नियम 311 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिए था, इस पर मत अलग–अलग हो सकते हैं। प्रश्नकाल पूरी तरह विपक्ष का होता है, शून्य काल भी विपक्ष का होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई व्यवधान न हो। सरकार को निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, इस पर वक्तव्य देना चाहिए और आप का जो भी निर्देश है, वह शिरोधार्य होता है, उस पर कोई विवाद नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, खुले आम डकैती हो रही है और डकैत चुनौती देकर डकैती करने के बाद यह कहकर जाते है कि कल फिर आयेंगे। घटना के बारे में बताया गया कि पुलिस वहाँ गई, लेकिन सही तरीके से नाकेबन्दी न होने के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इस तरह के अपराध किस तरह से कम हों, यह जिम्मेदारी सरकार की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी सदस्यों की भावनाओं को सदन में सुना जाए, सदन व्यवस्थित ढंग से चले, यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की अधिक होती है, ऐसे विषय जो गम्भीर होते हैं, लोक महत्व के होते है, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित होते हैं, उन पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही में जो व्यवधान हुआ, जो गतिरोध हुआ और उसके साथ–साथ जो वैल में आने की प्रक्रिया चली, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मान्यवर, जिस संवेदनशील गम्भीर संगीन मसले पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे, वह वास्तव में बहुत संवेदनशील मसला है। आए दिन पूरे देहरादून के अन्दर ही नहीं, उत्तरांचल के कई हिस्सों में डकैतियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। मान्यवर, एक घटना टेहरी जनपद, ग्राम भ्युपाणी की घटना है, जहाँ कुछ अज्ञात लोगों ने 28 तारीख को गृहस्वामी और उनकी पत्नी को पीटा, उनके बच्चों को पीटा तथा गृहस्वामी की पीट–पीट कर हत्या कर दी। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग होती है तो इसकी स्वीकृति चर्चा के लिए दी जानी चाहिए और सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह प्रतिपक्ष की भावनाओं का सवाल है। वैल में जाना कोई अच्छी बात नहीं। कुएं में आदमी तभी कूदता है ,जब उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा वह निराश होकर करता है।

मान्यवर, सत्तापक्ष को भी थोड़ा उदार होना चाहिए। हम भी सत्ता पक्ष में रहे हैं और ऐसे विषयों पर नियम 56 में हमेशा चर्चा हुई है। माननीया इन्दिरा जी को हमने 4

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल लखनऊ में सुना और एक साल यहाँ पर भी सुनने का अवसर मिला, आपने ऐसे विषयों को बहुत बार उठाया है। इस विषय को नियम 56 में लेने के लिए कोई एतराज नहीं होना चाहिए था।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ पर भी पक्ष और विपक्ष में बैठने का अवसर मुझे मिला है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में जब हम विपक्ष में थे तो सभी मुद्दे नियमों के अन्तर्गत उठाये जाते थे और नियमों के अन्तर्गत जो ग्राह्य होते थे, उन पर चर्चा होती थी। जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी की उदारता की बात है। अध्यक्ष जी की सदाशयता पर तो शक हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह नियम 311 के दायरे में नहीं आता है और चूँकि आज गृह विभाग का बजट है, आप उस समय अपनी बात कह लीजिएगा। नियमों को शिथिल करते हुए नियम 56 में भी इसको सुना जा सकता था, यह माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन उनको इसके लिए कोई अवसर भी तो मिलना चाहिए था। माननीय ऐरी जी, माननीय नारायण पाल जी और माननीय बलबीर सिंह नेगी जी भी उस समय यहाँ पर उपस्थित थे, क्या माननीय अध्यक्ष जी को यह अवसर मिला ? सब लोग मिलकर नियम 56 में चर्चा कराने के लिए अनुरोध कर सकते थे।

*श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमने अनुरोध किया था कि नियम 56 में चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रकाश पंत जी ने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी और मैंने निवेदन किया था कि आज गृह विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होनी है, आप अपनी बात को चर्चा के दौरान उठा सकते हैं और मैंने 12.00 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। मेरी मन्शा साफ थी, माननीय विधायकगण और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण।

मान्यवर, यदि आदरणीय कोश्यारी जी अनुरोध करते तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इसे नियम 56 के अन्तर्गत जो उठाया जा रहा है, लोग "वैल" में आए, जो यह प्रश्नकाल होता है, यहाँ पर कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं, यह प्रश्नकाल प्रतिपक्ष का होता है और मैं समझता हूँ कि पहली बार यह घटना घटी होगी कि प्रश्नकाल स्थगित किया गया। यदि आपने मेरे कक्ष में आकर अनुरोध किया होता, तो मैं निश्चित ही सुनता। मैंने माननीय सदस्यों को काफी अवसर दिया है और उनकी पीड़ा को देखते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए, मैंने अपने दायित्व के अनुसार, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सहयोग करने की कोशिश की है। लेकिन मन से और हृदय से जो मेरा, पीठ का दायित्व होता है, उसके अनुरूप मैंने काम करने की कोशिश की है, ईमानदारी के साथ की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का अवसर है कि आज हमारे माननीय नेता आदरणीय पंत जी हों, या अजय भट्ट जी हों, सभी "वैल" में आ गए। मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, सदन में भी कहा और बाहर भी इसकी प्रशंसा की है, मैंने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, सभी लोगों ने मुझे इतना सहयोग और समर्थन दिया और कम अनुभव होने के बावजूद सदन चलाने में उन्होंने अनुकम्पा की। इस बात को मैंने स्वीकार किया, चाहे राजनीतिक–दलों के कार्यकर्ता हों, चाहे मीडिया जगत के हमारे पत्रकार बन्धु हों, चाहे अपने क्षेत्र में गया हूँ, चाहे कहीं भी गया हूँ और मुझे ठेस पहुँची निश्चित तौर पर कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझसे कोई त्रुटि हुई हो। मैं आदरणीय कोश्यारी जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्बद्ध श्री किशोर उपाध्याय जी को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि आप इसको नियम 56 में ले लें, यही बेहतर होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपका भी कुछ दायित्व होना चाहिए। यदि आप मेरे कक्ष में आते तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं का, आपके सवाल का आदर करता। यदि आपने ही मुझे अपने कक्ष में बुला लिया होता तो मैं इसके लिए भी तैयार था। इस सदन की गरिमा की, पीठ के पीछे मैं सेवक हूँ, कहीं भी जाने को तैयार हूँ और आज यह जो 311 का प्रश्न आपने उठाया, उस पर मुख्यमंत्री जी कल सम्भवतः वक्तव्य दे देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने जो भावनाओं का प्रकटीकरण किया है कि प्रतिपक्ष के नेता आपके कक्ष में आते। मैंने कहा कि आपने नए होते हुए सदन को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की, त्रुटि भी हुई होगी तो हमने इसे नजरअन्दाज कर दिया। मैंने सोचा कि यह आपसे भी हो सकता है और हमसे भी हो सकता है। एक बात आपने कही कि कक्ष में आते, लेकिन कम से कम संसदीय कार्य का जिन्हें इतना बड़ा दीर्घ अनुभव है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हम चेयर का सम्मान करते हैं। माननीय अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाते हैं, यह सामान्य प्रोटोकॉल है और तब हम आपकी ही बात मानते। "वैल" में जाना कोई ऐसी बात नहीं है। आप यदि प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाते तो शायद हम आपकी बात जरूर मानते। चूँकि हम सब की भावना है कि सदन ठीक से चलना चाहिए। मुझे याद है कि पिछली बार माननीया इन्दिरा जी अकेले ही "वैल" में चली गई थीं। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मान्यवर, हम तो आपकी और मुख्यमंत्री जी की विनम्रता के कायल हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप नियम 56 में स्वीकार करने की घोषणा करें।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैसे नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा नाम इंगित हुआ है इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे दूँ। या तो मेरी आवाज दब गई थी या आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ सकी। मान्यवर, मैंने कहा था कि यदि इसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 311 में न लिया जा सके तो इसे नियम–56 में स्वीकार कर लिया जाये। मुझे इतना ही स्पष्टीकरण देना है। यदि आप इसे नियम–56 में ले लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे कल देख लेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसे आप नियम–56 में स्वीकार कर लें, लेकिन सभी को न बोलने दें, किसी एक को इस पर बोल लेने दें।

*श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह एक गम्भीर घटना है और हम इसे नियम–311 में लाना चाह रहे थे, क्योंकि यह अतिसंवेदनशील मामला है। (व्यवधान) डकैत आये और उन्होंने

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कल वक्तव्य दे देंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

अब मैं नियम–301 ले रहा हूँ।

(श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री हरबंस कपूर, श्री मदन कौशिक, श्री विशन सिंह चुफाल के "वैल" में आने और एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान के मध्य)

मैं सदन को 3.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के "वैल" में बैठे हुए थे। जैसे ही माननीय अध्यक्ष जी ने आसन ग्रहण किया तो "वैल" में बैठे हुए कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने लगे और एक साथ नारे लगाने लगे–घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

"वैल" में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया वे अपने–अपने स्थान पर चले जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य "वैल" में बैठे रहे और कुछ खड़े होकर नारे लगाते रहे, जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप अपने स्थान पर चले जायें और शान्ति से हाउस की आगे की कार्यवाही को चलने दें क्योंकि कई विभागों की मदें पास होनी हैं।

(बी0जे0पी0 के माननीय सदस्य "वैल" में बैठे रहे और नारे लगाने लगे–घोर व्यवधान)

मैं आप लोगों से बार–बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाने का कष्ट करें ताकि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चल सके।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब मैं नियम–301 ले रहा हूँ। आज नियम–301 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री सुरेश चन्द जैन, श्री प्रकाश पन्त, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री दिनेश अग्रवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अजय भट्ट तथा श्री कुँवर प्रणव सिंह, "चैम्पियन" की सूचना स्वीकार की गई। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई। यदि आप सहमत हों तो जो सूचनाएं स्वीकार हुई हों तो उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के घाड़ क्षेत्र के गाँवों की सूखे से प्रभावित लाखों बीघे जमीन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द जैन–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की का घाड क्षेत्र जो बहादराबाद से गंग नहर के पश्चिम में पड़ता है, सिंचाई से वंचित है। जिसमें ग्राम सोहलपुर तेलीवाला, ईमलीखेड़ा, दरियापुर, भगवानपुर, ढालूवाला इत्यादि सैकडों गाँव पड़ते हैं। बिना सिंचाई के साधन के इस क्षेत्र की लाखों बीघे जमीन सूखे से प्रभावित रहती है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

उत्तरांचल के 128 विद्यालयों में सन् 1988–89 से संचालित केन्द्रों के अध्यापकों/शिक्षकों के विनियमितीकरण एवं मानदेय स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

[मान्यवर, उत्तरांचल के 128 विद्यालयों में 1988–89 से संचालित केन्द्र पुरोनिधानित रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड़ों में पूर्ण निष्ठा व लगन से अध्यापन कार्य कर रहे व्यवसायिक शिक्षक आयु की अधिकता के कारण अन्यत्र आजीविका के योग्य नहीं हैं। परन्तु व्यवसायिक शिक्षकों की विनियमितीकरण की माँग पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आई0टी0आई0 के दैनिक वेतनभोगी शिक्षकों की तरह विनियमितीकरण करने तथा विनियमित किये जाने तक 5 हजार रु0 प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत करने व अब तक के अवशेष मानदेय के भुगतान करने के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट, दूनाकोट, आपेचौरा मोटर मार्ग पर अवैध रूप से पत्थर निकालने से सड़क क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद पिथौरागढ में डीडीहाट, दूनाकोट, आपेचौरा मोटर मार्ग पर अवैध रूप से पत्थर निकालने से सड़क क्षतिग्रस्त है। जिससे यातायात बन्द होने से क्षेत्र में खाद्यान्न की समस्या बनी है, जिससे जनता में आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की जाए।]

जनपद देहरादून के लक्ष्मण चौक स्थित बिन्दाल नदी एवं कांवली रोड पुलों में क्षतिग्रस्त पुस्तों इत्यादि के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश अग्रवाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मण चौक स्थित बिन्दाल नदी एवं कांवली रोड़ पुल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिन्दाल नदी का बहाव बरसात के दिनों में अत्यधिक तीव्र हो जाता है, जिसके कारण रास्ते में पड़ने वाले सभी पुस्तों की काफी टूट–फूट हो जाती है। कांवली रोड़ को जी0एम0एस0 रोड़ से जोड़ने वाले पुल के पुस्ते को भी इसनें काफी हानि पहुँचाई है, जिस कारण इस पुल की हालत अत्यन्त खराब है। इसके तीव्र बहाव के कारण गांधी ग्राम के भी सारे पुस्ते टूट गये हैं और भूमि का कटाव हो रहा है।

मान्यवर, आप अवगत ही हैं कि बरसात शुरू हो चुकी है और इसके आस–पास के निवासियों में सम्भावित खतरे के कारण अत्यंत रोष है। आगामी बरसात के दिवसों में कभी भी कोई हादसा हो सकता है और जान–माल की क्षति हो सकती है। अस्तु आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ ताकि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उक्त निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा पोषित विभिन्न निर्माण कार्यों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमितता बरतने तथा धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी (शिवालिक) में विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम की योजनाओं के अन्तर्गत चेक डाम, गूल, खडिन्जा, पानी की टंकियाँ, मोटर मार्ग आदि निर्माण कार्य गरिमा समितियों के माध्यम से कराये जा रहे हैं।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन कार्यों की गुणवत्ता निम्न कोटि की है। इस पर अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा अनियमिताएं बरती जा रही हैं। मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता द्वारा शिकायत की गयी कि निर्माण कार्य का पूरा भुगतान समिति के सदस्यों को नहीं किया जा रहा है। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और जनता को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत कर माननीय सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।]

सन् 1998–99 में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, सन् 1998–99 में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने की माँग चली आ रही है, जहाँ आज तक सरकार पठन–पाठन की कोई सुविधा नहीं दे पायी, वहीं दूर–दराज के क्षेत्रों में इन अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव किया है, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, यदि कई स्थानों में विद्यालय नहीं होते तो उस क्षेत्र के बच्चे कक्षा 8 तथा कक्षा 10 की पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे। पूर्व सरकार के समय में उक्त अशासकीय विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने सम्बन्धी प्रकरण लम्बित है। अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला होने के कारण ही इसे सदन के सम्मुख रखना पड़ रहा है।

अतः उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सूची में रखने के निर्देश देने की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल गन्ना समिति कर्मचारी एसो0 की माँगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुँवर प्रणव सिंह चैम्पियन–

[मान्यवर, मेरे संज्ञान में "उत्तरांचल गन्ना समिति कर्मचारी एसो0" के शिष्ट–मण्डल द्वारा यह लाया गया है कि उनकी तीन न्यायोचित मांगों पर शासन द्वारा ध्यान न देकर इन कर्मचारियों के हित की अनदेखी की जा रही है। यह तीन माँगे निम्नवत् हैं :–

(1) उत्तरांचल गन्ना समिति के सीजनल कर्मचारियों का नियमितीकरण।
(2) पंचम वेतनमान अन्य राज्य कर्मियों की भांति लागू हो।
(3) गन्ना मूल्य कमीशन में कुछ वृद्धि

क्योंकि गन्ना समिति किसानों तथा चीनी मिलों के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होती हैं एवं उपरोक्त माँगों को पूर्ण करने पर शासन पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा तथा इस स्ववित्तपोषित संस्था के कर्मचारियों के हितार्थ अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 56 ले रहा हूँ। आज नियम 56 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई– श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल और श्री प्रकाश पन्त की हैं। इसमें से ग्राह्यता पर मैं सर्वश्री काशी सिंह ऐरी, प्रकाश पन्त, प्रीतम सिंह पंवार, मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री नारायण पाल को सुन रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी जी, आप अपनी सूचना पर ग्राह्यता पर बोलें।

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुनना था, उनके नाम पुकारे गये परन्तु वह खड़े नहीं हुए)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्यय की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (ले0 ज0 तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28293 हजार (दो करोड़ बयासी लाख तिरानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।
(किसी ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28293 हजार (दो करोड़ बयासी लाख तिरानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 392581 हजार (उन्तालीस करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है। (किसी भी माननीय सदस्य नें कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 392581 हजार (उन्तालीस करोड़ पच्चीस लाख इक्यासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–4, न्याय प्रशासन विभाग

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, रुपये 476519 हजार (सैंतालीस करोड़ पैंसठ लाख उन्नीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–5, निर्वाचन विभाग

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–5, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 59201 हजार (पाँच करोड़ बयानवे लाख एक हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

त्रुटिवश अनुदान संख्या–5, निर्वाचन के अन्तर्गत कार्य सूची में चर्चा दर्शाई गई है। इस पर विवाद नहीं होता है। अतः इस पर मैं कटौती की अनुमति नहीं देता हूँ, आज की कार्यवाही तदनुसार संशोधित समझी जाय। अब मैं इस पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–5, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 59201 हजार (पाँच करोड़ बयानवे लाख एक हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

औद्योगिक राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5093310 हजार (पाँच सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख दस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है। (किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5093310 हजार (पाँच सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख दस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–9, लोक सेवा आयोग

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–9, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 21037 हजार (दो करोड़ दस लाख सैंतीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1620162 हजार (एक सौ बासठ करोड़ एक लाख बासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य को इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना है। (किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1620162 हजार (एक सौ बासठ करोड़ एक लाख बासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग

राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1563803 हजार (एक सौ छप्पन करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य को इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना है। (किसी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1563803 हजार (एक सौ छप्पन करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 12 जून, 2002 को उत्तरांचल विधान सभा कार्यसूची की मद संख्या–10 के अधीन क्रम संख्या–5 पर अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अधीन 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लेखानुदान की मद देय धनराशि के अतिरिक्त रुपया 4358389 हजार (चार सौ पैंतीस करोड़ तिरासी लाख नवासी हजार) दर्शाया गया। जबकि लेखानुदान की मतदेय धनराशि के अतिरिक्त रुपया 3434135 हजार (तीन सौ तैंतालिस करोड़ इक्तालिस लाख पैंतीस हजार) होती है। जिसमें लेखानुदान की मतदेय धनराशि रुपया बानवे करोड़ बयालिस लाख चौवन हजार पर मतदान हो चुका है।

अतः अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य की धनराशि रुपया 3434135 हजार (तीन सौ तैंतालिस करोड़ इक्तालिस लाख पैंतीस हजार) मानी जाये। संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन प्रस्तुत विनियोग विधेयक, 2003 में दर्शायी गयी धनराशि यथावत् है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय वन मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002

औद्योगिक राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायें।

(प्रतियां वितरित की गई)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002

(विधेयक संख्या . वर्ष 2002)

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

31 मार्च, 2003 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये।

विधेयक

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2002–2003 के लिए 5840,01,38,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2002) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके 5840,01,38,000 रुपये (पाँच हजार आठ सौ चालीस करोड़, एक लाख, अड़तीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

क्रम सं0	अनुदान/ सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		योग
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	
1	2	3	4	5	6
1.	विधान सभा	राजस्व :	56448	5246	61694
		पूँजी :	--	—	—
2.	राज्यपाल	राजस्व :	—	27429	27429
		पूँजी :	—	—	—
3.	मंत्रि परिषद्	राजस्व :	44701	—	44701
		पूँजी :	—	—	—
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व :	308488	99862	408350
		पूँजी :	265000	—	265000
5.	निर्वाचन	राजस्व :	78850	—	78850
		पूँजी :	—	—	—
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	1282233	21	1282254
		पूँजी :	128500	—	128500
7.	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व :	5894280	6119862	12014142
		पूँजी :	627346	6166848	6794194
8.	आबकारी	राजस्व :	27737	—	27737
		पूँजी :	10000	—	10000
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	17468	—	17468
		पूँजी :	10000	—	10000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	2010894	10	2010904
		पूँजी :	119830	—	119830
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	9703982	15	9703997
		पूँजी :	234709	—	234709
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	2118613	—	2118613
		पूँजी :	478207	—	478207

अनुसूची (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	2633362	—	2633362
		पूँजी :	125000	—	125000
14.	सूचना	राजस्व :	95386	—	95386
		पूँजी :	—	—	—
15.	कल्याण योजनाएं	राजस्व :	1655021	—	1655021
		पूँजी :	254882	—	254882
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व :	316125	—	316125
		पूँजी :	21600	—	21600
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व :	2427605	2003	2429608
		पूँजी :	31746	—	31746
18.	सहकारिता	राजस्व :	108541	—	108541
		पूँजी :	54540	—	54540
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व :	1700083	—	1700083
		पूँजी :	168669	—	168669
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	1590073	—	1590073
		पूँजी :	371170	—	371170
21.	ऊर्जा	राजस्व :	1452243	—	1452243
		पूँजी :	707000	—	707000
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	1584784	10405	1595189
		पूँजी :	2773605	—	2773605
23.	उद्योग	राजस्व :	254271	—	254271
		पूँजी :	668267	—	668267
24.	परिवहन	राजस्व :	202172	—	202172
		पूँजी :	268759	—	268759
25.	खाद्य	राजस्व :	147858	—	147858
		पूँजी :	1387	—	1387
26.	पर्यटन	राजस्व :	222975	—	222975
		पूँजी :	211810	—	211810
27.	वन	राजस्व :	2079971	1198	2081169
		पूँजी :	3503	—	3503
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	403276	60	403336
		पूँजी :	14209	—	14209
	योग		45967179	12432959	58400138

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 को पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पर प्रकाश पन्त जी का नाम पुकारे जाने पर, उन्होंने सूचना को सदन के पटल पर नहीं रखा। उस समय वह सदन के वैल पर बैठे हुए थे)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से श्री तसलीम अहमद की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के बाल गंगा राजि में आकाशीय बिजली गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

[दिनांक 25–5–2002 को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के ग्राम गेवाली से आगे जौली बुयाला नामें जंगल में बज्रपात (आकाशीय बिजली) होने से ग्राम गेवाली, पनुणा, अमरसर के लगभग 39 परिवार प्रभावित हुए। उक्त परिवारों के 229 भेड़, 184 बकरी व 2 कुत्ते सहित कुल 415 पशुओं की मृत्यु हुई, तथा करीब 200 भेड़ बकरिया घायल हुई।

तहसीलदार घनसाली को प्रभावित क्षेत्र में स्वयं मौके पर जाकर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं। विस्तृत आख्या प्राप्त होने पर प्रभावित परिवारों में नियमानुसार राहत सहायता वितरित कर दी जायेगी।

वर्ष 2002–03 में जनपद टिहरी गढ़वाल को दैवी आपदा राहत कार्य हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि पूर्व में ही आवंटित की जा चुकी है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों में निमयानुसार राहत सहायता वितरण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआं माना गया।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अधिकांश गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य

आपदा प्रबन्धन मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है कि जनपद हरिद्वार की विधान सभा भगवानपुर के लगभग सभी गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी है। जिसे दूर करने के लिए सरकारी हैण्ड पम्प उपलब्ध कराये जायें क्योंकि यह विधान सभा क्षेत्र 75% (प्रतिशत) घाड़ है जहाँ गरीब किसानों को अपनी फसलों के लिए सिर्फ बरसात पर ही निर्भर रहना पड़ता है, अतः क्षेत्र में कम से कम 05 (पांच) सरकारी नलकूप आवश्यक रूप से लगवाकर किसानों की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में 87 ग्राम हैं। इस विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर एवं साहपुर पाईप पेयजल योजना से आच्छादित हैं। इसमें एक नलकूप निर्मित है, योजना द्वारा सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड भगवानपुर में 1104 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं, जबकि भारत सरकार के मानकानुसार विकास खण्ड भगवानपुर में 735 हैण्ड पम्पों की ही आवश्यकता है। इसमें से 35 हैण्ड पम्प जल निगम के रखरखाव में हैं तथा चालू अवस्था में हैं। शेष हैण्ड पम्प ग्राम पंचायतों के रखरखाव में हैं। जिनमें से वर्तमान में 186 हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर के स्तर से ग्राम पंचायतों के माध्यम से की जा रही है।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड में चलित नलकूपों की संख्या 59 है जिसमे से वर्तमान में 12 नलकूप बन्द हैं, जिनमें 11 नलकूप विद्युत दोष के कारण एवं 01 (एक) यांत्रिक दोष के कारण बन्द है। इन बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 55 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2002 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून,
13 जून, 2002 ई0

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 विधान सभा/636–18–02–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

विधान ... पुस्तकालय ... देहरादून